न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

स्पेशल अपील रेफरेंस/एलआर/1838/2006/टोंक

शिवराजसिंह पुत्र नारायणसिंह जाति राजपूत निवासी गेदिया तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक

अपीलार्थी

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, टोडारायसिंह
2 ग्राम पंचायत खरेडा जरिये सरपंच ग्राम पंचायत खरेडा तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक

प्रत्यर्थीगण

खण्ड पीठ
श्री मोडूदान देथा, सदस्य
श्री पंकज नरूका, सदस्य

उपस्थितः श्री योगेन्द्रसिंह शक्तावत वकील अपीलार्थी
श्रीमती पूनम माथुर अति0 राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांकः.17.10.19

यह स्पेशल अपील धारा 10 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत राजस्व मण्डल की माननीय एकल पीठ द्वारा प्रकरण संख्या 205/2003 में पारित निर्णय दिनांक 9.1.2006 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि तहसीलदार, टोडारायसिंह ने एक रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अतिरिक्त जिला कलक्टर, टोंक के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम गेदिया के हाल आराजी खसरा नम्बर 1491 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा, 1490/1660रकबा 14 बिस्वा, 1510/1663 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा, 1492/1694 रकबा 10 बिस्वा, 1490/1695 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, 613/1672 रकबा 5 बीघा 18 बिस्वा, 610/1674 रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा, 612 रकबा 1 बीघा, 610 रकबा 12 बीघा 10 बिस्वा, 1004 रकबा 10 बिस्वा, 1005 रकबा 6 बिस्वा 1531, 1532, 1533 रकबा 11 बीघा 17 बिस्वा, 938/1703 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, 1490/1694 रकबा, 1531/2 रकबा 2 बीघा स्थित है। उक्त आराजीयात के

संबंध में तहसीलदार, टोडारायसिंह ने दिनांक 16.9.83 को वर्तमान अपीलार्थी की मानते हुए गैर खातेदार दर्ज करने का आदेश दिया। जिसकी पालना में नामान्तरकरण संख्या 602 दिनांक 30.5.84 को स्वीकृत किया गया जो विधि विरूद्ध होने से रेफरेन्स किया जावे। अतिरिक्त जिला कलक्टर, टोंक ने अपनी अनुशंषा दिनांक 6. 3.2003 से रेफरेन्स राजस्व मण्डल को प्रेषित किया। राजस्व मण्डल की विद्वान एकल पीठ ने रेफरेन्स संख्या 205/03 उनवानी सरकार बनाम शिवराजसिंह व अन्य निर्णय दिनांक 9.1.2006 से स्वीकार कर तहसीलदार, टोडारायसिंह का आदेश एवं संबंधित नामान्तरकरण निरस्त किये जाने का आदेश दिया। इससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह स्पेशल अपील राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की गई। एकल पीठ के आदेश दिनांक 27.4.06 से स्पेशल अपील प्रस्तुत करने की अनुमति दिये जाने से यह स्पेशल अपील खण्ड पीठ के समक्ष नियत हुई एवं दोनों पक्षो के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपनी बहस में तर्क दिया कि विवादित आराजीयात अपीलार्थी अथवा उसके पिता व दादा को आवंटित नहीं की गई है बल्कि यह अपीलार्थी के दादा आनन्दसिंह की खुदकाश्त की भूमि रही है तथा राजस्थान भूमि सुधार अधिनियम, 1952 एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रभाव में आने के पूर्व से ही वे विवादित आराजीयात के खातेदार दर्ज चले आ रहे थे। सम्वत 2010 में पर्चा बन्दोबस्त अपीलार्थी के दादा के नाम जारी हुआ। अपीलार्थी के दादा के देहान्त के बाद अपीलार्थी के पिता एवं उनके देहान्त के बाद अपीलार्थी का नाम दर्ज हुआ एवं वे खातेदार काश्तकार हैं। विवादित आराजीयात को गलती से राजकीय भूमि दर्ज कर सिंचाई विभाग के नाम दर्ज कर दिया। जमाबन्दी सम्वत 2014 से 2017 में विवादित आराजीयात आनन्दसिंह की खुदकाश्त में दर्ज है एवं सम्वत 2034 में खुदकाश्त में दर्ज हैं। गिरदवरियों में काश्त दर्ज रही है। पुस्तों से खुदकाश्त रही है। विद्वान एकल पीठ ने आवंटित की जाना मानकर निर्णय दिया है जो विधि विरूद्ध है। विवादित आराजीयात प्रारम्भ से ही अपीलार्थी के खातेदारी में रही हैं। तहसीलदार, टोडारायसिंह ने आदेश दिनांक 16.9.83 से गैर खातेदारी में दर्ज करने का आदेश दिया है जो विधि अनुरूप है। राज्य सरकार ने भी परिपत्र क्रमांक एफ–6(39)राज/ख/67 दिनांक 2 दिसम्बर, 1967 जारी कर ऐसी पेटा तालाब व पाल की भूमि का आवंटन नहीं किये जाने तथा पूर्व खातेदार के नाम ही दर्ज रहने देने का आदेश दिया है। विद्वान एकल पीठ ने उक्त परिपत्र का गलत अर्थ निकाला है एवं समझे बिना ही निर्णय दिया है। वैसे भी रेफरेन्स अत्यधिक देरी लगभग 18 वर्ष बाद प्रस्तुत किया गया है।

4. विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि राजस्थान भू राजस्व (तालाब तले की भूमियों का कृषि हेतु आवंटन) नियम 1961 के नियम 9(2) के अनुसार आवंटन गैर खातेदारी के रूप में विहित अवधि हेतु होता है। इन्हीं नियमों के नियम 6–क के अनुसार खातेदार की भूमि डूब में आने पर अधिग्रहित होने पर भी आवेदन करने पर गैर खातेदार के रूप में आवंटन किसी अवधि परिसीमा के बिना होगा। यहां भूमि अधिग्रहित नहीं हुई थी और न ही कोई मुआवजा दिया गया था। हम पहले से ही खातेदार थे और पुस्तों से थे। 1947 से भी काफी पहले से पुस्तों से थे। नियम 6 ख में ऐसा ही प्रावधान अजमेर जिले के कतिपय मामलों में बिना परिसीमा अवधि गैर खातेदारी का है। विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि माननीय उच्च न्यायालय ने डी.बी. सिविल स्पेशल अपील डब्ल्यू नं. 4/2013 निर्णय दिनांक 2.9.2013 में तालाब पेटा आवंटन नियमों की पालना कर आवंटन का कहा है। ऐसा उन भूमियों के बारे में होता हैं जहां टिनेन्सी एक्ट के बाद के मामले हो। हमारा तो पहले का है। तहसीलदार ने हमें कोई नवीन अधिकार नहीं दिया है अपितु पूर्व से वर्तमान हमारे अधिकार की जो पूर्व में राजस्व अभिलेख में था पश्चातवर्ती राजस्व अभिलेख में पुनरावृति नहीं होने से तहसीलदार ने राजस्थान लैण्ड रेवेन्यु (लैण्ड रिकार्डस) नियम 160 के तहत आदेश दिया है जो कि पी–27 में दिया जाना व्यक्त है क्योंकि हमारा इन्द्राज बिना किसी आदेश के लिपिकीय त्रुटिवश आना बंद हो गया था। हमें सेटलमेन्ट में पर्चा लगान मिला तब और उससे भी पहले आरम्भ से ही हमारा निरन्तर साधिकार कब्जा काश्त रहा है। कब्जे से बेदखल नहीं हुए थे। तथा गैर खातेदारी से खातेदारी हेतु हमने अभी तक कोई कार्यवाही भी नहीं की है। पूर्व में खातेदारी थी। तहसीलदार ने गैर खातेदारी की है। उक्त आराजीयात में स्थित तालाबी भूमि अपीलार्थी की स्वंय की खुदकाश्त की है एवं दूसरे किसी व्यक्ति से इसका कोई लेनादेना नहीं है। विद्वान एकल पीठ द्वारा दिया गया आलौच्य निर्णय राजस्थान भूमि सुधार अधिनियम, 1952 की धारा 9 व राजस्थान कातश्कारी अधिनियम अधिनियम की धारा 13 के विपरीत होने से यह स्पेशल अपील स्वीकार की जावे।

5. विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि जहां तक तहसीलदार स्वंय द्वारा नामान्तरकरण नहीं कर मूल पंचायत द्वारा नहीं कर दूसरी पंचायत द्वारा स्वीकृत किए जाने का बिन्दु है, हमारा स्वत्व अधिकार सारवान विधि द्वारा स्थापित होने से ऐसी प्रक्रियात्मक गौण व राजवितीय बात महत्व नहीं रखती है तथापि हमारे प्रसंग में मूल आदेश तहसीलदार स्वंय का था। किसी अन्य न्यायालय का नहीं होने से ग्राम पंचायत द्वारा नामान्तरकरण पर तहसीलदार के निर्देश से विचार कर कोई अनियमितता नहीं की है। जहां सरपंच का निजी मामला हो वहां वह सरपंच नामान्तरकरण स्वीकृत नहीं करता है। ऐसी स्थिति में दूसरी पंचायत ने निर्देश से किया है। किन्तु यह

तथ्य कोई महत्व नहीं रखता क्योंकि हम पुस्त दर पुस्त काबिज काश्त खुदकाश्त थे और हमारा नाम अकारण एक जमाबन्दी से दूसरी जमाबन्दी में आना बन्द हुआ, उसे दुरूस्त मात्र किया गया था जो सही था। ऐसी स्थिति में यह आक्षेप रेफरेन्स स्वीकार करने का आधार इतनी अवधि पश्चात नहीं हो सकता था।

6. विद्वान अति0 राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में तर्क दिया कि विद्वान एकल पीठ द्वारा सभी तथ्यों को देखकर एवं विवेचन कर निर्णय दिया गया है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 2 दिसम्बर, 1967 के अनुसार अपीलार्थी को खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते। विवादित भूमि सिंचाई विभाग के नाम दर्ज है तथा अपीलार्थी का अतिक्रमण है जिससे उन्हें कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। अपीलार्थी की खुदकाश्त की होना साबित नहीं होता है। अतः स्पेशल अपील खारिज की जावे।

7. हमने दोनों पक्षो के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

8. पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी सम्वत 2014 से 2017 में जिम्मन नं.2 का 'ख' वे खातदोर जिनके पर्चे में तालाबी जमीन है अंकित कर कालम संख्या 5 नाम खातेदार के कालम में ठाकुर आनन्दसिंह वल्द दुर्जनसिंह राजपूत सा.देह दर्ज है। खाता संख्या 178 पर उक्तानुसार अंकन के साथ शिवराजसिंह वल्द आनन्दसिंह दर्ज है। खसरा गिरदावरी सम्वत 2011 से 2013 में कालम संख्या 5 नाम जागीरदार में ठाकुर आनन्दसिंह का नाम अंकित है तथा कालम संख्या 6 नाम कृषक के कालम में खुदकाश्त अंकित है। शिवराजसिंह की काश्त दर्ज है। उक्त आराजीयात की किस्म तालाबी यही अंकन खसरा गिरदावरी सम्वत 2014 से 2017 में है तथा खसरा नम्बर 610/1674 पर नया तालाब तथा खसरा नम्बर 938/1703, 746, 747 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा पर गैर मु0 तालाब अंकित हैं। अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत खसरा परिवर्तनशीलों में अपीलार्थी की काश्त अंकित है।

9. राजस्व अभिलेख की उक्त स्थिति ये यह स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि विवादित आराजीयात सम्वत 2011 से ही अपीलार्थी व उनके पूर्वजों के नाम राजस्व अभिलेख में खातेदार व खुदकाश्त के रूप में अंकित रही हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि विवादित आराजीयात पर स्थित तालाब सार्वजनिक नहीं होकर निजी खातेदारी का तालाब रहा है। राज्य सरकार ने भी परिपत्र क्रमांक एफ–6(39)राज/ख/67 दिनांक 2 दिसम्बर, 1967 जारी कर ऐसी पेटा तालाब व पाल की भूमि का आवंटन नहीं किये जाने तथा पूर्व खातेदार के नाम ही दर्ज रहने देने का आदेश दिया है। ऐसी स्थिति में विवादित आराजीयात सार्वजनिक उपयोग की नहीं मानी जा

सकती बल्कि निजी खातेदारी की होने से अपीलार्थी के नाम गैर खातेदारी में दर्ज किये जाने का तहसीलदार, टोडारायसिंह द्वारा दिया गया आदेश तालाब पेटा आवंटन नियम 6–क तथा भू अभिलेख नियम 166 के अनुसार विधि अनुरूप है। तहसीलदार ने इस आदेश के द्वारा किसी नये अधिकार का सृजन नहीं कर पूर्व से दर्ज रिकार्ड चले आ रहे अधिकार की पुनरावृति नहीं होने से उसे दर्ज करने का आदेश दिया है। ऐसा आदेश अपील योग्य भी रहता है। किन्तु तत्समय इसकी अपील नहीं की गई। अपीलार्थी का भी बहस में यह कथन रहा है कि इसे खातेदारी में बदलने की उसने अपनी ओर से अब तक कोई कार्यवाही नहीं की है तथा अपीलार्थी की बहस कथन आराजी 1947 से पूर्व से ही पुस्तों से खुदकाश्त होने का है तथा यह भी कथन है कि पूर्व में खातेदारी थी। तहसीलदार ने गैर खातेदारी की है। विद्वान एकल पीठ ने उक्त दस्तावेजी साक्ष्यों एवं परिपत्र, नियम आदि को देखे बिना विवादित आराजीयात आवंटित की जाना मानकर रेफरेन्स स्वीकार किया है जो साक्ष्यों के विपरीत होने से समर्थन किये जाने योग्य नहीं है। विवादित आराजीयात प्रारम्भ से ही अर्थात सम्वत 2011 से ही राजस्थान भूमि सुधार अधिनियम, 1952 प्रभाव में आने के समय से ही अपीलार्थी के खातेदारी व कब्जे में रही हैं। ऐसी भूमि को सार्वजनिक उपयोग की मानकर उपरोक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थी की गैर खातेदारी समाप्त कर सिंचाई विभाग के नाम दर्ज किया जाना अनुचित होने से तहसीलदार द्वारा दिया गया आदेश दिनांक 16.9.83 एवं दिनांक 30.12.83 न्यायोचित एवं विधि अनुरूप है। ऐसी स्थिति में हम यह स्पेशल अपील स्वीकार करना न्यायोचित समझते हैं

10. अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार यह स्पेशल अपील स्वीकार की जाती है एवं रेफरेन्स संख्या एलआर/205/03/टोंक में पारित निर्णय दिनांक 9.1.2006 निरस्त किया जाता है। तदनुसार रेफरेन्स खारिज किया जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज नरूका)
सदस्य

(मोडूदान देथा)
सदस्य